

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 221/2023 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)

आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड, द्वितीय तल, मानउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम,
एचएसबीसी बैंक के सामने, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. हर्षिता आर्ट ज्वेलरी जरिये प्रोपराईटर हर्षिता सोनी,
पता:- 1565, जड़ियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
एवं पार्ट पोर्शन ऑफ हाऊस म्यूनिसिपल नम्बर 1425, जोबनेर, छीपों की गली, बगरू वालों का
रास्ता, चौड़ा रास्ता, चौकड़ी पुरानी बस्ती, जयपुर।
2. श्रीमती हर्षिता सोनी,
पता:- 1565, जड़ियों का रास्ता, जौहरी बाजार, चौड़ा रास्ता, जयपुर।
एवं 1425, जोबनेर, छीपों की गली, बगरू वालों का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर।
एवं पार्ट पोर्शन ऑफ हाऊस म्यूनिसिपल नम्बर 1425, जोबनेर, छीपों की गली, बगरू वालों का
रास्ता, चौकड़ी पुरानी बस्ती, जयपुर।
3. श्री उन्नत कुमार विजय कुमार सोनी,
पता:- 1565, जड़ियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर।
एवं पार्ट पोर्शन ऑफ हाऊस म्यूनिसिपल नम्बर 1425, जोबनेर, छीपों की गली, बगरू वालों का
रास्ता, चौकड़ी पुरानी बस्ती, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002

स्थित :-

1. श्री के. के. सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 20.03.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती हर्षिता सोनी के स्वामित्व की संपत्ति पार्ट पोर्शन ऑफ हाऊस म्यूनिसिपल नम्बर 1425, जोबनेर, छीपों की गली, बगरू वालों का रास्ता, चौड़ा रास्ता, चौकड़ी पुरानी बस्ती, जयपुर, क्षेत्रफल 189.14 वर्गमीटर को बन्धक रख कर दिनांक 29.08.2019 को राशि 01,14,00,000/- रुपये एवं दिनांक 26.06.2020 को राशि 22,58,976/- रुपये, कुल राशि 01,36,58,976/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.10.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 01,14,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 01,25,83,358.70/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 08.10.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती हर्षिता सोनी के स्वामित्व की बंधक संपत्ति पार्ट पोर्शन ऑफ हाऊस म्यूनिसिपल नम्बर 1425, जोबनेर, छीपों की गली, बगरू वालों का रास्ता, चौड़ा रास्ता, चौकड़ी पुरानी बस्ती, जयपुर, क्षेत्रफल 189.14 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल बुफतर हो।

आदेश आज दिनांक 20.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

५०

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला माजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर